

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 233]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 जुलाई 2023—श्रावण 5, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2023

क्र. एफ ए-3-47-2017-1-पांच (24).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का क्रमांक 19) की धारा 9 उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-47-2017-1-पांच (59) दिनांक 7 दिसम्बर 2018, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—

प्रधान अधिसूचना में, अनुबंध में, शब्दों, अंकों और अक्षरों "मैंने/ हमने एसजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण करा लिया है और फॉरवर्ड चार्ज के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है." के स्थान पर शब्दों, अंकों और अक्षरों "मैंने / हमने एसजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण करा लिया है और वित्तीय वर्ष से फॉरवर्ड चार्ज के तहत अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है और रिवर्स चार्ज मकेनिज्म में रिवर्ट नहीं किया है.".

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई 2023 से लागू होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2023

क्र. एफ ए-3-47-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक. एफ ए-3-47-2017-1-पांच (24), दिनांक 27 जुलाई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 27th July 2023

No. F A 3-47-2017-1-V (24).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this Department's notification No. F A 3-47-2017-1-V (59), dated 30th June, 2017, namely :—

In the notification, in Annexure III, for the words and figures "during the Financial Year. under forward charge", the words and figures "from the Financial Year under forward charge and have not reverted to reverse charge mechanism" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from 27th July 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.